

# नवशक्ति

www.navshaktinews.in

navshakti news paper patna

वर्ष: 13, अंक: 293

पटना, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024

पृष्ठ: 8 मूल्य: दो रुपये

## संक्षिप्त समाचार

तमंचा लेकर न्यायालय परिसर में घुसा व्यक्ति, 11 पुलिसकर्मी निलंबित बिजनौर। उत्तर प्रदेश के विजनौर में कथित तौर पर हत्या के इरादे से तमंचा लेकर एक अधिवक्ता के न्यायालय परिसर में घुसने के बाद 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को जिला न्यायालय के गेट नंबर पर एक पर 6 और गेट नंबर तीन पर 5 पुलिसकर्मी तैनात थे, इस दौरान अधिवक्ता हर्षित चिंकारा की गैंगस्टर अधिनियम के तहत ऐसी होनी थी।

उन्होंने बताया कि हर्षित अदालत के बाहर टहल रहा था, तभी उसकी हत्या के इरादे से आए एक युवक ने 315 बोर का तमंचा निकाल लिया, लेकिन उसे हमला करने से पहले ही दबोच लिया गया। ज्ञा ने बताया कि आरोपी 22 वर्षीय रिपुल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कर्तव्य के पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों गेट पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

मायावती ने दलों से एक देश एक चुनाव विधेयक का समर्थन करने का किया आग्रह।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अधिकारी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कोंग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला करने से हुए रविवार को कहा कि उन्हें अरक्षण पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस नीति संग्रह सत्ता में था, तब उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पोर्नोटि में अरक्षण देने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए सांठगांठ की थी। मायावती ने एक देश-एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे खर्च कम होगा और जनहित के कार्य ज्यादा नहीं रुकेंगे। उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया। मायावती ने मां की किए एसी और शिवड़ा वर्मा (ओबीसी) के अरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्रीय और राज्य कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार संसद में संविधान पर हुई चर्चा के द्वारा न्यायालय को संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश पर्टी ने देश के एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अरक्षण को संविधान पर नहीं रुकेंगे। उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया। मायावती ने मां की किए एसी और शिवड़ा वर्मा (ओबीसी) के अरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्रीय और राज्य कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार संसद में संविधान पर हुई चर्चा के द्वारा न्यायालय को संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया, हाईउच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद से उच्च न्यायालय काँलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट तलब की थी।

## महायुति कैबिनेट का विस्तार, 39 विधायक बने मंत्री



अशोक उड़के, आशीष शेलार, शिवेंद्रसिंह भोसले, जयकुमार गोरे, संजय सावरकर, नितेश राणे,

आकाश फुंडकर, माधुरी मिसाल, पंकज भोयर और मेघना बोडिंकर ने मंत्री पद की शपथ ली।

शिवसेना के इन विधायकों ने ली शपथ: शिवसेना के गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठड़, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, भरत गोवाले, प्रकाश अविंश्टकर, आशीष जायसवाल और योगेश कदम ने मंत्री पद की शपथ ली।

राकांपा के इन विधायकों ने ली शपथ: राकांपा के हसन मुशीफ, धनंजय मुडे, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे, माणिकराव कोकटे, नरही झिरवाल, मकरांद जाधव, बाबासाहेब पाटिल और इंद्रनीलन नाइक ने मंत्री पद की शपथ ली।

**भारत स्वतंत्र, समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध: सेना प्रमुख**



किया और बहुराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए इसके प्रयास को भी रेखांकित किया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच उन्होंने यह टिप्पणी की।

शिखर सम्मेलन में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के सेना प्रमुख और वरिष्ठ जनरल ने भाग लिया। अपने संबोधन में जनरल ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित किया।

## पराली जलाने के लिए व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता है: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़



एक व्यवस्थित समाधान की तलाश करनी चाहिए। धनखड़ ने कहा, तंत्र को परिवर्चन करना चाहिए... हमारी लापरवाही हमें कई तरह से खतरे में डाल रही है। एक तो हमारा स्वास्थ्य। दूसरा, काम के घंटों का नुकसान। तीसरा, सामाजिक जीवन में व्यवधान और चौथा, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के लिए एक व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि द्वाहारी लापरवाही हमें कई तरह से खतरे में डाल रही है। एक तो हमारा स्वास्थ्य। दूसरा, काम के घंटों का नुकसान। तीसरा, सामाजिक जीवन में व्यवधान और चौथा, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा।

उन्होंने पराली जलाने के लिए एक व्यवस्थित समाधान खोजने का जाह्नवी राज्य का एक व्यापरियां परिस्थितियों से पैदीड़त होती है।

उन्होंने कहा कि समाज को नवाचार को अपनाना चाहिए और इसे व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

लोकाचार और पारपंरिक ज्ञान का एक उल्लेख करते हुए धनखड़ ने

हमारे वेद, पुराण, हमारे विरासत ज्ञान एक विरासत है, और मैं कहूँगा कि एक

उत्तरजीवीता मैन





